(क0नं0-1774775)

महत्वपूर्ण

संख्या-43/2024/731/23-12-2024-23-12099(099)/56/2023

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2024

विषयः-उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के समतुल्य लाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित विस्तार हेतु उसके संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के किसी विभाग के अधीन समस्त प्रकार की भूमि को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-347 कैबिनेट नोट/2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024 तथा मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-318एनएच/35एन/16, दिनांक 25 जनवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के समतुल्य लाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग (रा0मा0 खण्ड) उत्तर प्रदेश के माध्यम से उ0प्र0 प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित गति से विस्तार हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधीन समस्त प्रकार की भूमि को निम्नवत शर्तों के अधीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(क)(i) राज्य की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए जब भी आवश्यकता होगी, पूर्ण सड़क मार्ग पर यूटिलिटी कॉरीडोर का अधिकार राज्य सरकार का निःशुल्क रहेगा।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को आवंटित/हस्तांतरित की जानी वाली भूमि के संबंध में समस्त दायित्व (वित्तीय एवं वैधानिक) भारत सरकार के होंगे।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iii) सड़क/मार्ग के संरेखण में आने वाली राजकीय भूमि पर यदि कोई सार्वजनिक सम्पत्ति या राज्य सम्पत्ति सड़क सीमा में स्थित है, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को करना होगा।

(iv) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को आवंटित की जानी वाली राजकीय भूमि पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जायेगा। यदि कोई वाणिज्यिक गतिविधि आरम्भ की जायेगी तो भारत सरकार को प्रदेश सरकार द्वारा नियत दर पर भूमि के मूल्य का भुगतान करना होगा।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेखण में आने वाली राजकीय भूमि पर कार्य करने हेतु प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग द्वारा वर्किंग परमीशन तत्काल निर्गत किया जाय।

2- कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय चौहान)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-43/2024/731(1)/23-12-2024-23-12099(099)/56/2023तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली।
(2) सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) क्षेत्रीय अधिकारी(ईस्ट/वेस्ट/दिल्ली), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी/लखनऊ/दिल्ली।
(9) मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/(रा0मा0)/(परिकल्प/नियोजन),लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in